न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/44/2023   रजू दिनांकः 17.02.2023   रजि0 न0 2023/261

अपीलार्थीः–

श्री हरिमोहन जांगिड पुत्र श्री घनश्याम जांगिड, निवासी ग्राम पोस्ट व तहसील मलारना डूंगर, जिला सवाईमाधोपुर–322028 (राजस्थान)।

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय,जिला अलवर (राज0)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 20.03.2023

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 05.12.2022 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 27.02.2023 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2023/605 दिनांक 20.03.2023 के माध्यम अवगत कराया है कि प्रकरण में न्यायालय जिला कलक्टर अलवर के प्रथम अपील प्र.स. कमशः 12/29/2023, 12/30/2023 एवं 12/31/2023 अन्तर्गत पत्रांक 327–28, 325–26 एंव 323–24 दिनांक 08.02.2023, पत्रांक 452–53, एंव 456–57 दिनांक 27.02.2023 के माध्यम से जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है। जिसके अनुसार कार्यालय के पूर्व पत्रांक लो.सू.अ./RTI/2022/263 दिनांक 24.01.2023 के माध्यम से संबंधित अनुभाग से सूचना प्राप्त कर विनिश्चय किया जाकर इस आशय की सूचना प्रेषित की जा चुकी है, प्रेषित सूचनानुसार अपीलार्थी द्वारा सूचना आवेदन में वर्णित समयावधि में विवाह प्रमाण–पत्र जारी किया जाना नहीं पाया गया है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. उक्त आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 20.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया
7. पत्रावली मिसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर अलवर (राज0)